न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 101/2022

प्रार्थी

1. रिड़मल पुत्र डागरा
   जाति माली निवासी बोरली, बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण **बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी
2. परखाराम पुत्र शिवदान
3. हरखाराम पुत्र शिवदान
   जाति माली निवासी बोरली, बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
4. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 2.9.22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् तरमीम दुरस्ती का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी का खेत ग्राम बोरली पटवार क्षेत्र बारासण तहसील गुड़ामालानी में खसरा संख्या 1253/12 रकबा 3.9578 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1253/1 रकबा 3.9578 हैक्टेयर के आये हुए हैं। मूल खसरा संख्या 1253/1 रकबा 48–18 बीघा का श्रीमान सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के निर्णय दिनांक 24.06.2017 द्वारा बंटवाडा करवाया गया जिससे प्रार्थी के खसरा नम्बर 1253/12 रकबा 24–09 बीघा (3.9578 हैक्टेयर) तथा विप्रार्थी संख्या 2 व 3 के खसरा नम्बर 1253/1 रकबा 24–09 (3.9578 हैक्टेयर) अंकित किये गये। इस बंटवाडा में पारित अंतिम डिक्री के मुताबिक तरमीम 1/2–1/2 की जानी थी, परन्तु राजस्व कार्मिकों द्वारा भूलवंश प्रार्थी के खसरा की भूमि कम करदी गई। राजस्व कार्मिकों द्वारा [illegible] दुरूस्ती का यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में [illegible] आवश्यक होने से पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.23 12:04:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का कोई लिखित जबाव पेश नहीं कर सीधी बहस कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार बताते हुए प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

गय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया। विप्रार्थी संख्या 1 भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट कमांक 923 दिनांक 03.06.2022 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरों की भूमि का विभाजन कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करवाया गया। दोनों खसरों का रकबा 24–09 – 24–09 बीघा है। राजस्व लट्ठा ट्रेस नक्शा में की गई तरमीम एवं दोनों खसरों में धारित भूमि की रकबा वरारी अनुसार इनके बीच की तरमीम रेखा जमाबन्दी में धारित रकबा से भिन्न है, तरमीम दुरूस्ती किया जाना उचित है।

दौनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड तथा भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत मौका रिर्पोट का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया। तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकित तरमीम व रकबा बरारी अनुसार तरमीम में भिन्नता है। अतः तहसीलदार गुड़ामालानी की अनुशंषा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट कमांक 923 दिनांक 03.06.2022 द्वारा मौजा बोरली के खेत खसरा नम्बर ~~1253~~ 1253/2 रकबा 3.9578 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1253/1 रकबा 3.9578 हैक्टेयर के मध्य वरंग 'लाल–डॉट–डॉट' अनुसार प्रस्तावित तरमीम जमाबन्दी में अंकित रकबे की सीमा तक रकबा बरारी करते हुए शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट कमांक 923 दिनांक 03.06.2022 मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार गुड़ामालानी आदेशों की पालना कर पालना रिर्पोट एक माह में पेश करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.23 12:04:59 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी